न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
372/2024

दायर दिनांक
26.06.2024

निर्णय दिनांक
29.07.2024

उनवान

1. हरीश औझा पुत्र श्री बंशीलाल औझा, निवासी ए–163, शास्त्रीनगर भीलवाडा –– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी स्व0 श्री बंशीलाल औझा, निवासी 6–एल–29, तिलकनगर, भीलवाडा जरिये वादमित्र आशा देवी पुत्री स्व0 बंशीलाल औझा, निवासी तिलकनगर, भीलवाडा।
2. राजेश औझा पुत्र स्व0 श्री बंशीलाल औझा, निवासी 6–एल–29, तिलकनगर, भीलवाडा
3. श्रीमती रेखा पत्नी श्री राजेश औझा, निवासी 6–एल–29, तिलकनगर, भीलवाडा
4. देवेन्द्र औझा पुत्र श्री राजेश औझा, निवासी 6–एल–29, तिलकनगर, भीलवाडा
5. रमेशचन्द्र औझा पुत्र श्री मांगीलाल औझा, निवासी ब्रहाम्णी स्वीट्स के पास, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
7. उपपंजीयक बडलियास, तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा। –– विपक्षीगण

उपस्थितः– 1. प्रार्थी की और से ललितशंकर शर्मा, अधिवक्ता
2. विपक्षी स0 01 से लगायत 05 की और से भैरूलाल बापना, अधिवक्ता

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा स्व0 बंशीलाल परिवार के कर्ता थे बंशीलाल जी ने परिवार के सदस्यों के नाम से अपनी निधि से कई जायदादें खरीद की जिसमे से अपनी पत्नी के नाम से भी एक जायदाद खरीद की जो राजस्व रेकार्ड की आराजी होकर राजस्व ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का बनका खेडा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी संख्या 782 रकबा 0.6806 हेक्टेयर, आराजी संख्या 783 रकबा 1.3504 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 2.0310 हेक्टेयर खरीद की यह जायदाद स्व. श्री बंशीलाल जी ने इसलिए खरीद की भविष्य मे होने वाले आवश्यकता को मध्यनजर और अपने भरण पोषण बाबत यह जायदाद प्रार्थी की माता के नाम से खरीदी जो विपक्षी संख्या 1 हैं विपक्षी को संयोजित कर वादमित्र इसलिए नियुक्त किया जा रहा है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 ने बंदी बनाकर रखा हुआ है जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी हैं उसकी याददाश्त खराब हो चुकी है और पारिवारिक सदस्यों को वह भूल चुकी है पहचानती नही है और नहीं के बराबर दिखता है स्वयं के दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ है तथा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा जो निर्णय लेने की स्थिति मे नही है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 ने बंधक बनाया हुआ हैं जिसके बाबत पुलिस कार्यवाही प्रार्थी ने पेश की हुई हैं जो न्यायालय में लम्बित है जो अनुसंधान होकर निर्णित होना बकाया है तथा बंशीलाल जी की मृत्यु होने के बाद प्रार्थी को जायज हकों से वंचित करने के लिए फर्जी वसीयत की रचना कर कूटरचित वसीयत तैयार की है जिसके बाबत आपराधिक प्रकरण लम्बित है।

मौरूषि जायदाद आराजी संख्या 317 रकबा 0.0216 हेक्टेयर, आराजी संख्या 629 रकबा 0.0216 हेक्टेयर, आराजी संख्या 753 रकबा 0.0432 हेक्टेयर, आराजी संख्या 307 रकबा 0.2485 हेक्टेयर, आराजी संख्या 316 रकबा 0.2809 हेक्टेयर, आराजी संख्या 626 रकबा 0.2269 हेक्टेयर, आराजी संख्या 675 रकबा 0.1620 हेक्टेयर, आराजी संख्या 752 रकबा 0.2593 हेक्टेयर, आराजी संख्या 754 रकबा 0.2593 हेक्टेयर, आराजी संख्या 786 रकबा 0.5401 हेक्टेयर, आराजी संख्या 787/1 रकबा 0.9182 हेक्टेयर, आराजी संख्या 789/1 रकबा 0.2161 हेक्टेयर, आराजी संख्या 790/1 रकबा 0.2917 हेक्टेयर, आराजी संख्या 791 रकबा 0.4969 हेक्टेयर, आराजी संख्या 92 रकबा 0.4321 हेक्टेयर, आराजी संख्या 372 रकबा 0.0108 हेक्टेयर, आराजी संख्या 556 रकबा 0.7562 हेक्टेयर, आराजी संख्या 557 रकबा 0.3133 हेक्टेयर, आराजी संख्या 601 रकबा 0.6266 हेक्टेयर, आराजी संख्या 724 रकबा 4.3968 हेक्टेयर, आराजी संख्या 545 रकबा 2.2038 हेक्टेयर, आराजी संख्या 555 रकबा 5.5419 हेक्टेयर स्थित है उक्त आराजियात संवत 2075 से 2078 की जमाबंदी में लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री बंशीलाल ओझा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसमे विपक्षी संख्या 1 का हक हिस्सा दर्ज है जो मौरूषि अधिकारों से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 1 को जरिये वादमित्र उसकी पुत्री के जरिये संयोजित किया जा रहा हैं, चूंकि विपक्षी संख्या 2 ने बंधक अवस्था मे रखा हुआ हैं, न तो किसी रिश्तेदार से मिलने देता है और न ही उसको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हैं जिसके कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है इस स्थिति का फायदा उठाने बाबत उसने दिनांक 20.06.2024 को उप पंजीयक बडलियास के यहां एक दस्तावेज पंजीयन के बाबत विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 को पेश किया और विपक्षी संख्या 1 से पंजीयन कराने के लिए पेश किया है। इस स्थिति की जानकारी होने पर उप पंजीयक, बडलियास को प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र पेश किया और दस्तावेज पंजीयन नहीं करने बाबत निवेदन किया है जिस पर प्रार्थनापत्र पेश होने के कारण मौके से सभी विपक्षीगण फरार हो गये और उसका पंजीयन नहीं हो पाया है। अब पुरी तरह से अंदेशा हैं कि विपक्षी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन कर सकता है और विपक्षी संख्या 7 विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को जो रहन, बय, विलेख, हक परित्याग व बक्षीस के दस्तावेज को पंजीयन करा सकता है और विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 या अन्य के हक में पंजीयन करा सकता है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है तथा विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं कि वादग्रस्त आराजी को मौका मिलते ही उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वर्णित आराजी को उसमे वर्णित विपक्षी संख्या 1 के हक को विपक्षी संख्या 02 या अन्य विपक्षीगण के नाम से रहन, बय, विलेख, हक परित्याग इत्यादि दस्तावेज निष्पादन होने की सुरत मे बेजां तौर विवाद बढ़ने की संभावना है तथा मानसिक स्थिति पुरी तरह से विवेचना विपक्षी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित होने पर हो सकेगी और यह भी तय हो सकेगा कि क्या वह कोई दस्तावेज निष्पादन की स्थिति मे कानुनी रूप से है और यहां यह भी कहा जाना आवश्यक हैं कि बंशीलाल जी की निधि से जायदाद को क्रय किया गया और बंशीलाल जी के अधिकारों से मौरूषि हकों से जायदाद में हक नामान्तरण हुआ तो विपक्षी 'संख्या 1 का कोई आय का स्त्रोत जायदाद लेते वक्त नहीं था और बंशीलाल परिवार के कर्ता थे उन्होनें अपने स्वविवेक से अपनी पत्नी के नाम जायदाद इसलिए खरीद की कि जीवनकाल मे जायदाद से आय प्राप्त हो और जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और उसका भरण पोषण होता रहे और किसी पर निर्भर रहना नहीं पडे, परन्तु मानसिक स्थिति का बेजां फायदा उठाते हुए और विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 जायदाद को हडप करना चाहते है जिसका कोई अधिकार विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 को नही है तथा जिसका मेडिकल बोर्ड से मानसिक जांच होने व रिपोर्ट आने मे समय लगने की पुरी संभावना है और जायदाद को सुरक्षित किया जाना आवश्यक हैं इसलिए आवश्यक हैं कि विपक्षी संख्या 2 को किसी भी तरह से जायदाद जो कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित मौरूषि व पिता के द्वारा खरीदी हुई पैतृक जायदाद है। उसे अन्तरण करने से या भार सृजित करने से रोका जावे इसलिए आवश्यक हैं कि विपक्षी संख्या 6 को पाबंद किया जावे किव ह किसी भी प्रकार से विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुरत मे वह पंजीयन नहीं करे और किसी प्रकार से रहन, बय, विलेख, हक परित्याग, बक्षीस आदि का कोई दस्तावेज को पंजीयन किये जाने के बाबत आदेशात्मक आज्ञा से और अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 या अन्य के पक्ष में आराजियात का रहन, बय बक्षीस, हस्तान्तरण करवाने पर आमादा है और आराजियात को हडपना चाहते है तथा उस पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है अगर विपक्षीगण द्वारा ऐसा कृत्य कर लिया जाता है तो प्रार्थी उसकी आराजियात को उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो जायेगा तथा प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.07.2024 तक इस आशय की जारी की गई कि ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का बनका खेडा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 782, 783 एवं प्रार्थीगण की मौरूषि जायदाद आराजी संख्या 317, 629, 753, 307, 316, 626, 675, 752, 754, 786, 787/1, 789/1, 790/1, 791, 92, 372, 556 557, 601, 724, 545, 555 के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे, किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी स्व. बंशीलाल जी ओझा का सबसे बड़ा पुत्र है जिसका विवाह होते ही वह अपने पिता बंशीलाल जी ओझा से अलग हो गया व अपना काम अलग करने लग गया । उसने अपने पिता श्री बंशीलाल जी ओझा को कोई आर्थिक सहयोग कभी नहीं दिया । बंशीलाल जी से अलग होते ही उसका बंशीलाल जी ओझा के परिवार से स्थिता टूट गया अर्थात् वादी के विवाह के बाद वादी व बंशीलाल जी ओझा का कोई संयुक्त हिन्दु परिवार नहीं रहा । बंशीलाल जी ओझा से अलग होने के बाद वादी ने न तो अपने माता पिता को कोई आर्थिक सहयोग दिया और न विवाह के पहले कोई सहयोग दिया न उनकी कभी सेवा सुश्रुषा की । यहां तक कि वादी व उसके परिवार वालों ने अपने माता–पिता व भाई भाभी से बोलचाल ही बंद कर दी बल्कि हर समय वह अपने माता–पिता व भाई के परिवार से लड़ने झगड़ने पर ही आमादा रहता था जिससे माता पिता उसके दुर्व्यवहार से हर समय दुःखी रहते थे राजस्व ग्रामं चावण्डिया पटव क्षेत्र बनका खेड़ा में स्थित आराजी सं. 782 रकबा 0.6806 हैक्टेयर व आराजी सं. 783 रकबा 1.3504 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी ओझा की स्वअर्जित भूमि है जो उसनें गोमा श्रवण पिता जीतमल जी ओझा निवासी चावंडिया से 44,000 /– चौवालीस हजार रूपयों में पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 19–04–1993 से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की थी ये आराजियात बंशीलाल जी ओझा ने मुझ प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर क्रय नहीं की थी बल्कि मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी स्वअर्जित आय जो कि मेरे पीहर पक्ष से व अपनी माता से प्राप्त उपहार राशि से क्रय की थी। यह सम्पत्ति प्रतिवादी सं. 1 की पूर्ण स्वामित्व की सम्पदा होकर स्त्रीधन के रूप में मेरे एकल अधिकार आधिपत्य में है। वक्त क्रय से ही इन आराजियात संख्या 782 व 783 कित्ता 2 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा (2.0310 हैक्टेयर) पर एकल अधिकार आधिपत्य प्रतिवादी सं. 1 का ही चला आ रहा है। इस भूमि आराजी किता 2 रकबा 2. 0310 हैक्टेयर पर प्रतिवादी सं. 1 के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है जिसका उपयोग उपभोग प्रतिवादी सं. 1 ही कर रही है व इसका किसी भी रूप में अंतरण करने का प्रतिवादी सं. 1 को पूरा अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 इन आराजियात सं. 782 व 783 की रेकार्डेड खातेदार व पूर्ण स्वामी (Full Owner) है जिसके विरूद्ध कानूनन कोई भी स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादी इस भूमि का रेकार्डेड खातेदार नहीं है जिससे उसे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी सं. 1 के साथ अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई व हक अधिकार नहीं होने से उसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सव्यय निरस्तनीय है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिवादी सं. 2 3 व 4 या अन्य किसी व्यक्ति ने बंदी बनाकर नहीं रखा है बल्कि में सभी प्रकार से स्वतंत्र हूँ एवं मुझ प्रतिवादी सं. 1 की मानसिक स्थिति एवं याददाश्त कभी भी खराब नहीं हुई है बल्कि पूर्ण रूप से ठीक व अच्छी है। मैं प्रतिवादी सं. 1 सभी परिवारजन रिश्तेदारों व पहचान वालों को पहचानती हूँ किसी को भूली नहीं हूँ और मुझे आंखों से पर्याप्त व अच्छी तरह से दिखता है, मैं अपना दैनिक कार्य स्वयं करने में समर्थ हूँ और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर कोई भी निर्णय करने की अच्छी स्थिति में हूँ और पूरी क्षमता रखती हूँ। मुझ प्रतिवादी सं 1 को प्रतिवादी सं. 2 व उसकी पत्नी व बाल बच्चों ने कभी भी बंधक नहीं बनाया है बल्कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ और वे मेरी सेवा सुश्रुषा अच्छी तरह से कर रहे है जिससे मैं काफी प्रसन्न हूँ। मुझ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 व उसके बाल बच्चे मुझ प्रतिवादी सं. 1 की आज्ञा में चलते हैं और किसी भी काम के लिये कभी मना नहीं करते हैं। वादी ने अगर कोई पुलिस कार्यवाही पेश की है तो वह सरासर झूठी व फर्जी है और वादी ने अगर पुलिस कार्यवाही की होगी तो वह दुर्भावना से प्रेरित होकर की होगी। वादी झूठा व झगडालु व्यक्ति है जो अपने विवाह के पश्चात् हमसे अलग रह रहा है और वह व उसके परिवार वाले मुझसे व मेरे स्वर्गीय पति बंशीलाल जी से बोलते भी नहीं थे और न ही उन्होंने हमारी कभी सेवा चाकरी की है। मेरे पति बंशीलाल जी ने जो भी वसीयत की है वह सही व सच्ची है। वह किसी भी भी प्रकार से कूटरचित नहीं है। इस वसीयत के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है। अगर कोई लम्बित होना बतावे तो वह और वह कार्यवाही सरासर झूठे हैं। वादी का वादपत्र सरासर झूठा होकर मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की धारा सं. 2 में वर्णित आराजियात ग्राम चावण्डिया पटवार क्षेत्र बनका खेड़ा में स्थित है जो बंशीलाल जी व उनके भाइयों वगैरह के शामलाती खाते में दर्ज थी। बंशीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से उनके वारिसान पत्नी प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मीदेवी व पुत्रों वादी हरीश व प्रतिवादी सं. 2 राजेश और पुत्री आशादेवी के नाम पर बराबर हक हिस्से से दर्ज हुई है जिसमें प्रत्येक वारिस अपने–अपने हिस्से का पूर्ण मालिक है और प्रत्येक सहखातेदार हिस्सेदार को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने व उसको अंतरित करने का पूरा हक अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के अनुसार प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से का अंतरण करने का पूरा अधिकार है। इसमें अन्य सहखातेदार किसी भी तरह का एतराज व दखल नहीं कर सकता है। इन खातों में वर्णित भूमि में वादी का जो हिस्सा दर्ज है उसे वह किसी को भी अंत्तरित कर सकता है, इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को भी अपने हक हिस्से की भूमि को अंतरित करने का पूरा हक अधिकार है। वादी का वादपत्र सर्वथा मिथ्या व आधारहीन होने से सर्वथा निरस्तनीय है ।

प्रतिवादी सं. 1 शारीरिक व मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और किसी भी तरह से विकृत चित्त व अक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादपत्र के टाईटल में मुझ प्रतिवादी सं. 1 को मेरी पुत्री आशादेवी के जरिये वादमित्र की हैसियत से जो पक्षकार संयोजित किया गया है वह सर्वथा गलत है। वादमित्र उसी का नियुक्त किया जा सकता है जो अवयस्क हो या विकृतचित्त हो। मैं प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मीदेवी ऐसी स्थिति में नहीं आती हूँ बल्कि मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे प्रतिवादी सं. 2 ने कभी भी बंधक अवस्था में नहीं रखा है तथा किसी भी रिश्तेदार से मिलने पर मेरे ऊपर कोई रोक नहीं लगायी है बल्कि कोई भी रिश्तेदार व पहचान वाले मेरे से मिलने के लिये आते हैं तो वे बिना किसी रोक के मेरे से मिलते हैं और मैं प्रतिवादी सं. 1 भी बिना किसी रोक के रिश्तेदारी व परिचितों से मिलने के लिये जाती आती रहती हूँ जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व उसके बाल बच्चों की कोई रूकावट नहीं है बल्कि वे मुझे हर प्रकार से सहयोग करते हैं व मेरी सेवा सुश्रुषा अच्छी तरह से कर रहे हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वादी ने मुझ प्रतिवादी सं. 1 पर यह झूठा आरोप लगाया है कि प्रतिवादी सं. 1 मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। उसके द्वारा लगाया गया यह लांछन मुझे काफी दुःख व संताप पहुंचा रहा है। मैं स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर यह प्रमाणित कर रही हूँ कि मैं प्रतिवादी सं. 1 शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। वादी ने कभी भी मेरी सेवा चाकरी नहीं की है न कभी इलाज कराया है तो वह कैसे कह सकता है कि मैं प्रतिवादी सं. 1 मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी हूँ। दिनांक 20–06–2024 को मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने पंजीयन हेतु 3 दस्तावेज उपपंजीयक बड़लियास के यहां प्रस्तुत किये थे किन्तु उस दिन बिजली बंद हो जाने से इन दस्तावेजों का पंजीयन नहीं हो सका था। उस दिन पंजीयन विभाग वालों ने मुझ प्रतिवादी सं. 1 को ये दस्तावेज यह कहकर वापस लौटा दिये कि अभी बिजली नहीं आ रही है जिससे आप बाद में कभी भी आकर इन दस्तावेजों का पंजीयन करा लेना। वादी का इस धारा सं. 3 में यह लिखना सरासर गलत है कि उसके द्वारा उपपंजीयक बड़लियास के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण मौके से फरार हो गये हो बल्कि बिजली बंद हो जाने से दस्तावेजात का पंजीयन नहीं हो सका था। वादी का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से सव्यय निरस्तनीय है ।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की जारी कराई जाये कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा न तो विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 व अन्य के पक्ष में आराजियात का रहन, बय बक्षीस, हस्तान्तरण नहीं करें तथा किसी भी प्रकार से राजस्व रेकार्ड को परिवर्तित नहीं करें।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि विपक्षी संख्या 01 रेकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का सव्यय खारीज कराया जावें। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टांत पेश किये है जो क्रमशः (1) 2002 RBJ 246, (2) 2009 (1) RRT 25, (3) Sec. 41 Raj. Tenancy Act. (4) Sec. 14 Hindu Succession Act. है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का एवं इस प्रार्थना पत्र के विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलिभांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का बन का खेडा तहसील कोटडी के आराजी नम्बर 782 रकबा 0.6806 हैक्टयर एंव आराजी नम्बर 783 रकबा 1.3504 हैक्टयर भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 2.0310 हैक्टयर भूमि जमाबन्दी संवत 2075–78 में लक्ष्मी देवी पत्नी बंशीलाल औझा सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.04.1993 से गोमा, श्रवण पिता जीतमल औझा निवासी चावण्डिया से क्रय की है। ग्राम चावण्डिया के आराजी नम्बर 317, 629, 753 विपक्षी संख्या 01 लक्ष्मी देवी पत्नी बंशीलाल हिस्सा 1/48 ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 307, 316, 626, 675, 752, 754, 786, 787/1, 789/1, 790/1, 791, 92 विपक्षी संख्या 01 लक्ष्मी देवी पत्नी बंशीलाल हिस्सा 1/16 ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 01 के पति बंशीलाल पिता मांगीलाल औझा निवासी 163–ए शास्त्रीनगर भीलवाडा ने एक वसीसयनामा चल–अचल सम्पति का श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम दिनांक 13.04.2018 को निष्पादन किया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात की विपक्षी संख्या 01 खातेदार है। प्रार्थी खातेदार नहीं है। जिससे धारा 188 आरटीए का प्रकरण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने के लिये नियमानुसार अधिकृत नहीं है। वादी के वादपत्र में प्रार्थीगण के विरूद्ध जिन बिन्दुओ पर आपत्तियॉ प्रकट की गयी है उनके सम्बन्ध में उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चिय किया जायेगा।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के खण्डन में विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत क्रमशः (1) 2002 RBJ 246, (2) 2009 (1) RRT 25, (3) Sec. 41 Raj. Tenancy Act. (4) Sec. 14 Hindu Succession Act. इस प्रकरण में चस्पा होते है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में दिनांक 26.06.2024 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य नहीं ठरहता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का विरूद्ध विपक्षीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

हरीश औझा पुत्र स्व0 बंशीलाल औझा	बनाम	लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 बंशीलाल औझा वगैरहा	
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0 372	सन् 2024	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 01.08.2024	विपक्षीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151–152 जा0दी0 का प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण में दिनांक 29.07.2024 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 को खारिज किया गया था। उक्त निर्णय में टंकण की भूल एवं गलती से ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का बन का खेडा के खाता संख्या 71 में अंकित आराजी नम्बर 545, 555, 556, 557, 601, 724 किता 06 कुल रकबा 13.8386 हैक्टयर तथा खाता संख्या 74 में अंकित आराजी नम्बर 672 रकबा 0.0108 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 74 में स्थित आराजी नम्बर 90 रकबा 0.0324 हैक्टेयर का अंकन होने से रह गया जिससे उक्त निर्णय में संशोधन कराया जाये। विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151–152 जा0दी0 में विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का व निर्णय दिनांक 29.07.2024 का परीक्षण किया गया। निर्णय दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर0टी0ए0 में आराजी नम्बर 372 क्षैत्रफल 0.0108 हैक्टेयर अंकित किया गया है जबकि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 672 रकबा 0.0108 हैक्टेयर है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2024 में ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का बन का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 782, 783 एवं आराजी नम्बर 317, 629, 753, 307, 316, 626, 675, 752, 754, 786, 787/1, 789/1, 790/1, 791, 92, 372, 556, 557, 601, 724, 545, 555 के सम्बन्ध में अन्तिम इस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई थी कि उभयपक्ष मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें इस आदेश के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 29.07.2024 में संशोधन करते हुये ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का बन का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 782, 783 एवं आराज़ी नम्बर 317, 629, 753, 307, 316, 626, 675, 752, 754, 786, 787/1, 789/1, 790/1, 791, 92, 672, 556, 557, 601, 724, 545, 555 के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2024 को समाप्त करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का खारिज किया जाता है। उपरोक्त संशोधन आदेश निर्णय दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध में किया गया है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	